

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईगारा रोड जोगीवाला नेशनल देहरादून पुलिसिया नं०-६ के समीप)

पत्रांक 1125 / म०नि०नि० / 2021-22

दिनांक : 31 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 4(3) के अनुसार किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु सुगम-दुर्गम जनपदों का निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 102 XXX(2) / 18 / 30(13) / 2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 तथा अधिनियम की धारा-5 में किये गये प्राविधानों के क्रम में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान के अन्तर्गत केवल जिला मुख्यालय पर तैनाती हेतु निर्धारित पद मुख्य निबंधन लिपिक के लिए सुगम एवं दुर्गम स्थलों का जनपदवार चिन्हांकन निम्नवत् होगा -

क्रमांक	सुगम जनपद	क्रमांक	दुर्गम जनपद
1	देहरादून	1	पौड़ी गढ़वाल
2	हरिद्वार	2	उत्तरकाशी
3	ऊधमसिंह नगर	3	चमोली
4	नैनीताल	4	रूद्रप्रयाग
5	अल्मोड़ा	5	चम्पावत
6	टिहरी गढ़वाल	6	बागेश्वर
		7	पिथौरागढ़

(अरुण प्रताप सिंह)

सहायक महानिरीक्षक निबंधन
(मुख्यालय)

उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक :: उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।
- 3- उप/समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
- 4- डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, आई०टी० सेल, मुख्यालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- कार्यालय प्रति।

(अरुण प्रताप सिंह)